प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 137/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

नाथूसिंह शक्तावत पुत्र लक्ष्मणसिंह पताः गुढ़ा, पोस्ट–बागुण्ड वाया भादसोडा, जिला–चित्तौडगढ़

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/12/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/137/23/1513–14 दिनांक 21.11.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/137/2023/1258–59 दिनांक 23.11.2023 एवं पत्रांक 1310–11 दिनांक 15.12.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसके संदर्भ में न्याय अनुभाग के पत्रांक 8075 दिनांक 13.10.2023 से उपलब्ध सभी दस्तावेज अपीलार्थी को भिजवा दिये गये है, परन्तु उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रथम अपील आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक 1258–59 दिनांक 23.11.2023 से पुनः न्याय अनुभाग को पत्र लिखा गया। उक्त पत्र के संदर्भ में न्याय अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुभाग में उपलब्ध

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सभी दस्तावेज अपीलार्थी को प्रदान किये जा चुके है, साथ ही आप द्वारा सूचना प्रमाणित भी नहीं की जाना बताया है। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार पृथक से प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन कर प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 09.10.2023 को प्रेषित किया गया था, उक्त आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2023 को प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1215 दिनांक 02.11.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी का कथन कि वह उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को चाहिए कि वह लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर चाही जा रही वांछित सूचना का अवलोकन वांछित सूचना प्राप्त करे।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि इस निर्णय के 20 दिवस में आपके कार्यालय में उपस्थित होता है तो चाही गई वांछित सूचना का अवलोकन करा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर